कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्याः–789 / एम0सी0जे0–2026 / ई0सी0–1 / संविदा–विज्ञप्ति दिनाँकः 16 मई–2026

विज्ञप्ति

एन0एम0सी0 के निरीक्षण / यू0जी0 एव पी0जी0 की मान्यता, छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन मरीजहित के दृष्टिगत महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी में चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने के दृष्टिगत वॉक–इन–इन्टरव्यू प्रत्येक मंगलवार को अपरान्ह 2.30 बजे प्रधानाचार्य कार्यालय के समिति कक्ष में लिये जाएंगे। चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण मेडिकल कालेज, झाँसी की वेबसाइट **www.mlbmcj.edu.in** पर देखा जा सकता है।

S. No.	Department (Specialty)	Professor					Associate Professor					Assistant Professor				
		UR	OBC	SC	ST	EWS	UR	OBC	SC	ST	EWS	UR	OBC	SC	ST	EWS
1	आर्थोपेडिक्स	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--	1*
2	ऑफ्थैल्मोलॉजी	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--
3	ऑब्स एण्ड गायनी	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
4	इमरजेन्सी मेडिसिन	1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	एनॉटामी	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 *	--	--	--
6	एनेस्थीसियोलॉजी	1 *	1*	1*	--	--	1 *	1*	1*		--	1	1	--	1*	--
7	ऑटो–राईनो–लैरिंगोलॉजी	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--
8	कम्यूनिटी मेडिसिन	--	1*	--	--	--	--	--	--	--	--	1*	2*	--	--	--
9	कार्डियोलॉजी	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
10	जनरल मेडिसिन	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1+1*	--	--
11	जनरल सर्जरी	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 (T)	2	--	1
12	टयूबरकुलोसिस एण्ड रेसपिरेटरी मेडिसिन	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
13	डरमेटोलॉजी	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	डेन्टिस्ट्री	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	न्यूरोलॉजी	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	न्यूरो सर्जरी	--	--	1T	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
17	नेफ्रोलॉजी	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1*	--	--	--	--	--
18	प्लास्टिक सर्जरी	--	--	--	--	--	--	--	1*	--	--	1*	--	--	--	--
19	पीडियाट्रिक्स	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	पैथोलॉजी	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21	फार्माकोलॉजी	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
22	फिजियोलॉजी	--	--	1 *	--	--	--	1*	--	--	--	--	--	1 *	--	--
23	फोरेन्सिक मेडिसिन	1 *	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1*	--	--	--	--
24	बायोकेमिस्ट्री	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25	माइक्रोबायोलॉजी	--	--	--	--	1*	--	--	--	--	--	1*	--	--	--	--
26	यूरोलॉजी	--	1	1*	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
27	रेडियोडायग्नोसिस	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1+1*	--	--
28	रेडियोथेरेपी	--	--	1*	--	--	--	--	--	--	--	--	1*	--	--	--
29	साइकियेट्री	--	--	--	--	1	--	--	1*	--	--	--	--	1	--	--
	कुल पद	6	5	5	0	2	1	3	4	1	1	5	12	9	1	4
		18					10					31				

T-Trauma

1. उपरोक्त पदों के लिए अगला विज्ञापन निकलने तक प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 2.30 बजे **Walk-in interview** के माध्यम से चयन किया जाएगा। जिसके लिये आवदेन किसी भी माध्यम से प्रेषित किये जा सकते है। तालिका में दर्शाये गये पदों की संख्या अनिवार्य सेवा के तहत चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में संशोधन किया जा सकता जिसकी सूचना वेब साईट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।
2. रिक्त पद हेतु अर्हता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के द्वारा जारी गजट संख्याः– सी0जी0–डी0एल0–अ–05072025–264399 दिनाँक 30–जून–2025 के अनुसार आचार्य, सह–आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदो की अर्हता एवं अनुभव निम्नलिखित है। आवेदक को नेशनल मेडिकल कमीशन के समय–समय पर किये गये संशोधनों के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना होगा। अर्हता एवं अनुभव पूर्ण करने बाले अभ्यार्थियों के आवेदन पर ही विचार किया जायेगा।
3. **चिन्हित (*) Star सीटो का तीन वार विज्ञापन हो चुका है। केटेगरी वाले अभ्यर्थी के उपलब्ध नही होने पर अन्य केटेगरी के अभ्यार्थियों के लिये सीट Open रहेगी।**
4. विशिष्टताओं में सृजित आचार्य के रिक्त पदों पर आचार्य की अर्हता पूर्ण करने वाले चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर इन पदों के सापेक्ष सह–आचार्य एवं सहायक आचार्य के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। इसी प्रकार सह–आचार्य के रिक्त पदों पर चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर सहायक आचार्य के रूप में भरे जा सकते हैं।

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
प्रोफेसर	सम्बन्धित विषय में एमडी0 / एमएस / डीएनबी	1. किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय के तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर। 2. एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। 3. किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो। 4. चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते कि उनका ब्रॉड स्पेशियलिटी स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। 5. बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्रॉड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जाएगा।
एसोसिएट प्रोफेसर	सम्बन्धित विषय में एमडी0 / एमएस / डीएनबी	1. किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में चार वर्षों तक सहायक प्रोफेसर या सरकारी चिकित्सा संस्थान में सीधे नियुक्त सहायक प्रोफेसर के लिए पॉच वर्ष तक। 2. सहायक प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये गए हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए। 3. संस्थान में बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो। 4. चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से करना होगा, बशर्ते कि उनका ब्रॉड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो।
सहायक प्रोफेसर	सम्बन्धित विषय में एमडी0 / एमएस / डीएनबी	1. एम0डी0 / एम0एस0 की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त / अनुमत चिकित्सा कालेज में सम्बन्धित विषय में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव

5. नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत् चिकित्सा शिक्षको को अन्य किसी प्रकार के वेतन / भत्ते एवं सेवारत लाभ अनुमन्य नही होगें।
6. शासनादेश संख्या 109 / 2024 / 176 / 71–1–2024 / 71–1001 / 804 / 2020 दिनाँक 18–07–2024 के अनुसार संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों को (आचार्य–2,20,000–00, सह आचार्य–1,60,000–00 एवं सहायक आचार्य–1,20,000–00 नियत वेतन प्रतिमाह) देय होगा। इस सम्बन्ध मे निर्धारित शर्ते शासन द्वारा समय समय पर पूर्व में निर्गत भिन्न–भिन्न शासनादेशानुसार होगी।
7. आयु सीमा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ के निर्गत शासनादेश संख्याः– 562 / 71–1–2020–जी0–63 / 2008 लखनऊ दिनाँक 10–जून–2020 के द्वारा निर्धारित शर्ते मान्य होगी। संविदा पर नियुक्ति हेतु चिकित्सा शिक्षको की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के माह जुलाई, 2024 के प्रथम दिवस को अधिकतम आयु सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एव आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी। उत्तर प्रदेश शासन सरकार के कार्मिक अनुभाग–1, संख्या–3 / 2026 / 268 / सैंतालीस–का–1–2026–13(1) / 2026 लखनऊ दिनांक 05–मई–2026 के द्वारा आयु की गणना पहली जनवरी–2026 से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है। इस नियमावली के प्रारम्भ होने के परिणाम स्वरूप, भर्ती वर्ष 2026–27, 01–07–2026 से 31–12–2026 तक सीमित रहेगा। इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व, यदि किसी पद के लिए चयन हो चुका है या चयन प्रकिया चल रही है, तो ऐसी चयन अथवा भर्ती अप्रभावित रहेगी। इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व यदि किसी पद के चयन के लिए विज्ञापन किया जा चुका है और चयन या भर्ती प्रकिया चल रही है, तो ऐसी चयन अथवा भर्ती अप्रभावित रहेगी और इस निमित्त जारी विज्ञापन के अनुसार किया जाएगा।
8. संविदा चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नही होगें।
9. अनिवार्य सेवा के तहत या नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने के दृष्टिगत पदो की संख्या घट बढ़ सकती है एवं तदानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
10. साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा। सभी प्रकार का अन्तिम निर्णय लेने का आधिकार उत्तर प्रदेश शासन का होगा।

11. शासनादेश संख्या 6/2019/4/1/2022/का–2/19टी.सी0–1 दिनाँक 23–10–2019 के अनुसार सम्बन्धित विशिष्टता में अनारक्षित कॉलम में दर्शाये गये ईडब्लूएस0 के पदों का आर्थिक रूप से कमजोर (ई0डब्लू0एस0) वर्ग का अर्ह अभ्यार्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त पदों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों द्वारा भरा जायेगा।

12. शासनादेश संख्या 119/2018/2842/71–2–2018–33/2018 दिनाँक 20–09–2018 में प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0एस0वाई) के अन्तर्गत सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय के संचालन हेतु प्राविधानित सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य (कंसलटेन्ट) के रूप में पुर्नयोजित एक मुश्त रूपये 2,20,000–00 का मासिक पारिश्रामिक प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्ते उक्त शासनादेश दिनाँक 20–09–2018 के अनुसार होगी।

13. आदेवकों को स्पष्ट सूचित किया जाता है कि, विज्ञप्ति के साथ संलग्न फर्म को सम्बन्धित अभिलेखों सहित केवल Off Line प्रेषित फार्म ही मान्य होगा। अपूर्ण या गलत पद के लिये भरे गये आवेदन फार्म निरस्त कर दिये जायेगें।

14. यदि किसी संस्थान मे सेवायोजित है तो साक्षात्कार हेतु सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त इस आशय का रू 10–00 (रूपये दस मात्र) के स्टाम्प पेपर पर फोटो सहित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरूद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचिलित नही है और न ही लम्बित है एवं किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये गया हो। यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है अथवा कोई सूचना असत्य पायी जाती है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

15. आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दुओं का रोस्टर/शासनादेश संख्या 5/2019/4/1/2002/का–2/2019टी0सी0–1 दिनाँक 13–08–2019 का अनुपालन मान्य होगा।

संलग्नकः– आवेदन पत्र।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्याः–789/एम0सी0जे0–2026/ई0सी0–1/संविदा–विज्ञप्ति तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
4. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया संस्थान, लखनऊ/एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/जी0आई0एस0एस0, ग्रेटर नोएडा।
5. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
6. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, मेडिकल कालेज, झाँसी को इस आदेश के साथ कि कालेज की वेब साइट पर उपरोक्त सूचना तत्काल अपलोड कराने के साथ कृत्य कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
7. साक्षात्कार समिति के सदस्य मेडिकल कालेज, झाँसी।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, मेडिकल कालेज, झाँसी।
9. प्रशासनिक अधिकारी, मेडिकल काजेज, झाँसी।
10. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

16.5.2026

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।